

**आदेश।**

शासनादेश संख्या-659/207-9-2009/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 16 सितम्बर,2009 वित्त अनुभाग-9 से उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के अन्तर्गत समस्त जनपदों में द्विवार्षिक न्यूनतम औसत बाजारी दरों में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप जनपद बागेश्वर के पूर्व निर्धारित दिनांक 20.08.2007 से प्रभावी सर्किल दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। जो दिनांक 01.11.2009 से प्रभावी होंगी।

**जनपद-बागेश्वर।(ग्रामीण क्षेत्र प्रति नाली 0.020 है०)**

क्रमांक	ग्राम का नाम	सिंचित	असिंचित	सड़क 100 मीटर अन्दर	सड़क से 50 से 100 मीटर तक	100 मीटर बाद
1.	मजियाखेत				3,00,000	2,44,000
2.	कफलखेत				2,64,000	2,44,000
3.	डंगरौ				3,94,000	3,00,000
4.	सैज				3,19,000	2,44,000
5.	बाडीखेत				3,94,000	3,13,000
6.	कत्यूर मठ				3,94,000	3,63,000
7.	भतरौला				2,38,000	1,97,000
8.	कठायतबाडा				2,38,000	1,97,000
9.	आरे	62,500	50,000	1,20,000		
10.	द्वारसों	34,000	28,500	70,000		
11.	बागेश्वर ज्यूला, रामभद्र तिवाडी,बाडी खालसा,बलसूना कुमाल्टा विनवाल तिवारी दिगरा पाडियारबाला				2,98,000	2,45,000


नोट-उपरोक्त क्रमांक 01 से 11 तक अंकित ग्रामों में रोड से 50 मी० तक 200 रु० प्रति वर्ग फुट की दर पर देय होगा।50 मीटर बाद 08 मु० तक का रकवा विक्रय होने पर 160 रु० प्रति वर्गफुट दर निर्धारण हेतु प्रस्तावित की जाती है।

12	त्यूनरा बैडेत	1,26,000	1,20,000		2,25,000	2,00,000
13	मटोली,ध्यांगण,बहुली,अडोली,सिमरों	93000	81,000	102300		
14	रुणीखेत,चक उडल, मगरोपहरी, रवाईखाल, कमेडी, बमराडी,फअगली	51000	38500.00	101000	8 मुठ से कम रकबा विक्रय होने पर 75 रु प्रति वर्ग फुट।	
15	चौरासी	50 मीटर बाद 04 मुठ से कम रकबा विक्रय होने पर 310 रूपया प्रति वर्ग फुट पर स्टाम्प देय होगा।			2,50,000	2,34,000
16	मण्डलसेरा	08 मुठ से कम रकबा विक्रय होने पर 185 रूपया प्रति वर्ग फुट पर स्टाम्प देय होगा।			3,63000	1,95000
17	भिटालगाँव	08 मुठ से कम रकबा विक्रय होने पर 50 मीटर तक 275 रूपया प्रति वर्ग फुट पर स्टाम्प देय होगा।			2,60,000	2,41000
18	शहर के अन्य गाँव फल्टनियों गाडगाँव	1,88000	1,38,000	2,11,000	08 मुठ से कम रकबा विक्रय होने पर 125 रूपया प्रति वर्ग फुट पर स्टाम्प देय होगा।	
19	अन्य गाँव तल्ला कत्यूर	48,000	33,000	63000	08 मुठ से कम रकबा विक्रय होने पर 50 रूपया प्रति वर्ग फुट पर स्टाम्प देय होगा।	
20	दुग पट्टी छुरमल धिरोली, जोशीगाँव, तूपेड, बनलेखा,सलीगाँव	75,000	63000	1,63000	08 मुठ से कम रकबा विक्रय होने पर 75 रूपया प्रति वर्ग फुट पर स्टाम्प देय होगा।	
21	मनकोट	31,000	25,000	1,00,000	08 मुठ से कम रकबा विक्रय होने पर 55 रूपया प्रति वर्ग फुट पर स्टाम्प देय होगा।	
22	अन्य गाँव विजयपुर	36000	25,000	56000	08 मुठ से कम रकबा विक्रय होने पर 50 रूपया प्रति वर्ग फुट पर स्टाम्प देय होगा।	
23	धिघारतोला	36000	25,000	56,000		
24.	रीमा, क्वीटी, उडियार ,किरोली, वीसा जाजरी,पचार,, किडई होराली,दयाली वाफिला,मल्ला / वाफिला तल्ला वडयूला स्युनीगाँव,महोली, चक्रम,काफली,रंगदेव	50,000	36000		70,000	61000
25.	पट्टी नाकुरी के अन्य गाँव	29000	24,000		48,000	30000

26	विलौनासेरा, गढियागाँव	1,38,000	1,25,000	1,56,000
नोट-ग्राम विलौना में सडक से 50 मी0 तक 150 रु0 प्रति वर्गफुट, 50 मी0 से बाहर कय-विकय यदि, 8 मु0 या उससे कम हो तो दर 130 रु0 प्रति वर्ग फुट निर्धारण हेतु प्रस्तावित की जानी है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग मी0 से कम भूमि कय करने पर उत्तराखण्ड से बाहर व्यक्ति को सडक से 100 मी0 तक वाला रेट में स्टाम्प शुल्क देना होगा।				

27	खांकर, भटखोला विलौरी सिन्दूरी, झिरौली जनौटी पालडी, खर्कटभटा	29,000	22000	47000
28	अन्य गाँव खरेही	25,000	21000	47000
29	अन्य मल्ला रीठागाड़	31000	24000	47000

1. घटबगड पुलिस थाने से तहसील गेट तक 400 रु0 प्रति वर्ग फुट, तहसील गेट से त्यूनरा तक 350 रु0 प्रति वर्ग फुट, हाईडिल गेट से कलैक्ट्रेट हेतु निर्माणाधीन पुल तक 350 रु0 प्रति वर्ग फुट दर निर्धारण हेतु प्रस्तावित की जाती हैं।
2. स्टेट बैंक चौराहा से जल संस्थान से पानी के पम्प तक कठायतबाडा रोड से 50 मी0 अन्तर्गत 400 रु0 प्रति वर्गफुट जल संस्थान के पानी के पम्प से महाविद्यालय कठायतबाडा सीमा अन्तर्गत 50 मी0 तक 300 रु0 प्रति वर्गफुट दर निर्धारण हेतु प्रस्तावित की जाती है।
3. अन्य गाँव तल्ला कत्यूर अन्य गाँव विजयपुर एवं धिंधारतोला में 08 मु0 या उससे कम भूमि के कय-विकय पर 50 रु0 प्रति वर्गफुट दर निर्धारण हेतु प्रस्तावित की जाती हैं।
4. सरयू पुल से सरहद छुरमल तक सडक से 50 मी0 अन्तर्गत 400 रु0 प्रति वर्ग फुट, छुरमल से आगे गाडगाँव सडक से 50 मी0 सरहद अन्दर तक 300 रु0 प्रति वर्ग फुट दर निर्धारण हेतु प्रस्तावित की जाती है।
5. चौरासी भिटालगाँव लगे मोटर मार्ग जीप रोड पर 50 मी0 अन्तर्गत 300 रु0 प्रति वर्गफुट दर निर्धारण हेतु प्रस्तावित की जाती है।
6. त्यूनरा से हनुमान मन्दिर वाली रोड पर 50 मी0 अन्तर्गत 350 रु0 प्रति वर्गफुट दर निर्धारण हेतु प्रस्तावित की जाती हैं।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग मी0 से कम भूमि उत्तराखण्ड से बाहर को व्यक्ति को कय करने पर सर्किल रेट का 100 मी0 सडक अन्दर वाले रेट पर स्टाम्प शुल्क दर निर्धारण हेतु प्रस्तावित की जाती हैं।
8. पट्टी खरेही व पट्टी मल्ला रीठागाड़ में 08 मुठ्ठी पर पूर्व में वर्तमान तक 40 रूपया प्रति वर्ग फीट स्टाम्प शुल्क देना था। जो वर्तमान में 60 रूपया प्रति वर्ग फीट किया जाता है।

  
 जिला अधिकारी/कलैक्टर,  
 बागेश्वर।

शासनादेश संख्या-659/207-9-2009/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 16 सितम्बर,2009 वित्त अनुभाग-9 के कम में तहसील कपकोट परिक्षेत्र अन्तर्गत पडने वाले ग्रामों के भूमि के सर्किल रेटों की सूची प्रति नाली (0.020 है०) सशोधित दरें दिनांक 1.11.2009 से प्रभावी ।

क्रम0सं०	पट्टी क्षेत्र का नाम/गाँव का नाम	केवल कृषि		केवल व्यवसायिक/आवासीय हेतु		
		सिंचित	असिंचित	50 मीटर तक मोटर रोड से मिलानी	50 मीटर बाद से 100 मीटर तक	100 मीटर बाद
1.	पट्टी तल्ला दानपुर कपकोट बाजार			1,55,000	1,05,000	75,000
2.	भराडी बाजार ऐठाण(बमसेरा)हिचौडी	50,000	40,000	1,55,000	1,05,000	75,000
3.	कपकोट के तोक सुल्यटी राक्सी दुणीको	42,000	32,000	63,000	45,000	42,000
4.	शेष स्थानों में कपकोट	42,000	32,000	73,000	57,000	48,000
5.	भानी,पाली डुगरा,भयु,बधेली,खटगैडा असौं भण्डारी गाँव	45,000	35,000	1,10,000	88,000	60,000
6.	गोलना रैथल,हरसीला कन्युटी,परमटी चीराबगड़,फरसाली	30,000	25,000	70,000	45,000	38,000
7.	तल्ला दानपुर के अन्य गाँव	24,000	20,000	50,000	42,000	25,000
8.	पट्टी विचला दानपुर-शामा,लीति, भनार खडलेख,बडी पन्याली	30,000	21,000	50,000	39,000	29,000
9.	कफलानी,बडेत,नौकोडी	30,000	21,000	50,000	41,000	21,000
10.	विचला दानपुर के शेष गाँव	24,000	20,000	50,000	41,000	27,000
11.	मल्ला दानपुर सुडिंग लोहारखेत,सलिंग	30,000	20,000	50,000	41,000	31,000
12.	मल्ला दानपुर के अन्य गाँव	24,000	20,000	50,000	40,000	27,000

नोट - 08 मुठठी तक का रकबा विक्रय होने पर कम संख्या 1 एवं 2 पर 85 रूपया प्रति वर्ग फुट कम संख्या 03 से 12 तक 08 मुठठी तक की 55 रूपया प्रति वर्ग फुट तक लागू होगी।

17/30/10/07  
जिलाधिकारी/कलेक्टर,  
बागेश्वर।

शासनादेश संख्या-शासनादेश संख्या-659/207-9-2009/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 16 सितम्बर,2009 वित्त अनुभाग-9 के कम में  
मल्ला कत्यूर एवं विचला कत्यूर के सर्किल रेट प्रति नाली (0.020है0) संशोधित दरें दिनांक 1.11.2009 से प्रभावी।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सिंचित	असिंचित	सडक से 50 से 100 मीटर तक	100 मीटर बाद
1.	मल्ला कत्यूर के गवाड़, पजेणा, जेसर, सिरकोट, गलई, वज्यूला, पिंगलों	32000	25000	55000.	
2.	बैजनाथ, फुलबाडी गूठ, मन्चूडा, पुरडा थान डंगोली, मेलाडुंगरी, बिलखेत, चरसों, प0अयारतोला, बज्यूला, भोलाथल	60000	44,000	105,000	
3.	मल्ला कत्यूर के अन्य गाँव	30000	24000	38,700	
4.	विचला कत्यूर टानीखेत, गढसेर, साल्दे, सेलीहाट, सिटोली, कनस्यारी, सिमार, नौघर, बयालीसेरा	60,000	45,000	1,18,000	
4(अ)	भकुनखोला टीटबाजार, स्याल्दे			1,87,500	1,20,000
5.	पाये, दर्शानी, गरुड़ बाजार, लोहारी, सिल्ली			2,24,500	1,80,000
6.	विचला कत्यूर के अन्य गाँव	30000	24,000	52,500	


कम संख्या 02 व 04अ, व 05 पर 50 मीटर तक 165 रूपया प्रति वर्ग फुट प्रतिशत की सीमा नहीं। 50 मीटर तक 08 मुठठी तक का रकबा विक्रय होने पर 125 रूपया प्रति वर्ग फुट, कम संख्या 01 पर 08 मुठठी तक 125 रूपया प्रति वर्ग फुट, कम संख्या 6 एवं 06 पर 48 रूपया प्रति वर्ग फुट 08 मुठठी तक विक्रय होने पर स्टाम्प देय होगा। बाहरी व्यक्ति जो सिलसिले काश्तकार नहीं है, 1,000 वर्ग मीटर से कम भूमि क्रय करने पर कॉलम 05 पर अंकित दरें (सडक से दूरी वाला कॉलम) पर स्टाम्प शुल्क देय होगा।

9/3/10  
जिलाधिकारी/कलेक्टर,  
बानेश्वर।

शासनादेश संख्या-659/207-9-2009/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 16 सितम्बर,2009 वित्त अनुभाग-9 के क्रम में कौसानी विचला कत्यूर सर्किल रेट प्रति नाली (0.020 है0) दिनांक 1.11.2009 से प्रभावी दरें।

क्रमांक	ग्राम का नाम					
1.	छानी ल्वेशाल कौसानी स्टेट विनियमित क्षेत्र	2,50,000				
		सिंचित	असिंचित	सडक से 50 मीटर तक	50 मीटर से 100 मीटर तक	100 मीटर बाद से
2.	लौंबाज	34,500	22,500	1,40,000	1,20,000	80,000
3.	भाना पडियार	34,500	22,500	1,40,000	1,12,000	80,000
4.	अन्य 9 राजस्व ग्राम	34,500	22,500	62,500		


क्रम संख्या 01 पर दर्ज ग्राम में 08 मुठठी तक विक्रय किये जाने पर 160 रूपया प्रति फुट एवं क्रम संख्या 2 एवं 03 पर 130 रूपया प्रति फुट एवं क्रम संख्या 04 पर 70 रूपया प्रति वर्ग फुट की दर से 08 मुठठी तक स्टाम्प शुल्क देय होगा।

  
 जिला अधिकारी / कलेक्टर,  
 बागेश्वर।

शासनादेश संख्या-शासनादेश संख्या-659/207-9-2009/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 16 सितम्बर,2009 वित्त अनुभाग-9 के क्रम में।  
सर्किल रेट कमस्यार प्रति नाली(0.020 है0) संशोधित दरें दिनांक 1.11.2009 से प्रभावी।

क्रमांक	ग्राम का नाम	सिंचित	असिंचित	सड़क से 100 मीटर तक
1.	पट्टी पल्ला वल्ला कमस्यार,काण्डेकन्याल, धिंधारतोला,चखवखतिया, मेहनरबुंगा	60,000	55,000	90,000
2.	देवतोली	26,000	23,000	50,000
3.	खन्तोली,विगुलचक,जामुडी,धपोली,नारायणगूठ	24,000	21,000	50,000
4.	अन्य गाँव पल्ला वल्ला कमस्यार	20,000	18,000	36,000

क्रमांक 01 व तीन पर 08 मुठठी तक का रकबा विक्रय होने पर 115 रूपया प्रति वर्ग फुट, क्रमांक 02 एवं 04 पर 08 मुठठी तक का रकबा विक्रय किये जाने पर 45 रूपया प्रति वर्ग फुट स्टाम्प शुल्क देय होगा। बाहरी व्यक्ति जो सिलसिले कास्तकार नहीं है, 1000 वर्ग मीटर से कम भूमि क्रय करने पर सड़क से 100 मीटर वाला रेट पर स्टाम्प शुल्क देय होगा।

  
जिला अधिकारी/कलेक्टर,  
बगेश्वर।

तहसील काण्डा क्षेत्र

क्रमांक	पट्टी नाकुरी / काण्डा क्षेत्र	सिंचित	असिंचित	50 मीटर तक	50 मीटर बाद से 100 मीटर तक	100 मीटर बाद
1.	सिमगढी, धरमघर, स्यांकोट, सिमगढी पातल, महरूढी, जलमानी, भुलगाँव कमेडीदेवी, उत्तरदुग,	48,000	38,000	75,000	65,000	55,000

27/10/05  
जिला अधिकारी / कलेक्टर,  
बाराेश्वर।